अकादमी द्वारा प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की स्थिति

(Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Academy)

क्र।	प्रदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों का विवरण	प्राप्तकर्ता/पात्र व्यक्ति	प्राविधान
1	अकादमी छात्रावास मे आवासीय सुविधा	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी	➢ आवासीय सुविधा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
2	अकादमी अतिथि गृह मे आवासीय सुविधा	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति	➢ कार्यक्रम/गतिविधि में योगदान व व्यवस्था के अनुसार। विशिष्ट व्यक्तियों को अकादमी का अतिथि घोषित किया जाता है।
3	पुस्तकालय सुविधा	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति ➢ मुख्यालय नैनीताल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ➢ माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक ➢ स्थानीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ता व प्राध्यापक	➢ प्रतिभागीगण कार्यक्रम अवधि में स्वत: ही पुस्तकालय के सदस्य माने जाते हैं। ➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक सेवा अवधि में सदस्य माने जाते है। ➢ अन्य अधिकारीगण व शोधकर्ता निर्धारित शुल्क जमा कर पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण कर सकते है।
4	कम्प्यूटर इन्टरनैट सुविधा (कम्प्यूटर लैब, पुस्तकालय, अतिथि गृह, छात्रावास, संकाय व स्टाफ के कार्यालय कक्ष)	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति ➢ संकाय अधिकारीगण, कार्मिक	➢ अतिथि वार्ताकार, विशिष्ट व्यक्ति व प्रतिभागीगण कार्यक्रम अवधि में इस सुविधा का नि:शुल्क उपयोग कर सकते हैं।
5	मैस सुविधा	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी	➢ प्रतिभागी अधिकारियों को निर्धारित शुल्क के भुगतान

		➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति ➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक	पर ➢ अतिथि वार्ताकारों/विशिष्ट व्यक्तियों को कार्यक्रम शुल्क में से भुगतान पर। ➢ वार्ताकारों/विशिष्ट व्यक्तियों के साथ अन्य सदस्यों को निर्धारित भुगतान के आधार पर। ➢ कार्यक्रम अवधि में संबधित कार्यक्रम निदेशक नि:शुल्क। ➢ संकाय सदस्यों को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर।
6	कार्य दिवस पर चाय की सुविधा	➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक	➢ निर्धारित शुल्क के भुगतान पर।
7	कीड़ा सुविधा	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट व्यक्ति ➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक	➢ सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। कार्यक्रमानुसार प्राप्त शुल्क में से निर्धारित शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
8	परिवहन सुविधा	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट अतिथि ➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक	➢ प्रशिक्षण कार्य के लिए नि:शुल्क।
9	स्थानीय वोट हाऊस क्लब की सदस्यता	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट अतिथि ➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण	➢ अकादमी स्थानीय वोट हाऊस क्लब का संथागत सदस्य है अतएव प्रतिभागियों, वार्ताकारों, विशिष्ट अतिथियों, संकाय को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अवधि में अस्थायी सदस्यता के पास जारी किये जाते है। ➢ क्लब में ली गयी सेवा

			/सुविधा का भुगतान प्रतिभागी अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाता है।
11	सूचना का अधिकार कक्ष	➢ अकादमी से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने वाला अधिकारी/ व्यक्ति	➢ सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सुविधा प्राप्त करने हेतु रु। 10।00 के निर्धारित शुल्क प्राप्त कर सूचना उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही। ➢ लोक सूचना अधिकारी के स्तर से सूचना उपलब्ध कराया जाना ➢ कतिपय मामलों में अपीलीय अधिकारी स्तर पर अकादमी स्तर पर ही विभागीय अपीलीय अधिकारी से सूचना प्राप्त की जा सकती है। ➢ सूचना प्राप्त करने हेतु अभिलेखों की छाया प्रति हेतु निर्धारित रु। 2।00 प्रति छाया प्रति की दर से शुल्क प्राप्त कर सूचना उपलब्ध करायी जाय।
12	टी।वी। केवल कनेक्सन सुविधा (अकादमी मैस लाउन्ज, छात्रावासों के लाउन्ज, अतिथि गृह के कक्ष, अधिकारियों व स्टाफ के आवास)	➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी ➢ प्रशिक्षण कार्यक्रम/ गतिविधियों के अतिथि वार्ताकार व विशिष्ट अतिथि ➢ अकादमी के संकाय अधिकारीगण व कार्मिक	➢ प्रतिभागी अधिकारियों, अतिथि वार्ताकारों व विशिष्ट अतिथियों को अकादमी प्रवास के दौरान नि:शुल्क। ➢ संकाय व स्टाफ को निर्धारित मासिक शुल्क के भुगतान पर।